बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :–28.09.2015

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ० नसीम जैदी ने बिहार में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से कराने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी होकर एक स्वच्छ चुनाव का वातावरण तैयार करें। आज पटना में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त एवं पुलिस, उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग एवं आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गयी बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ चुनाव सम्पन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है। इस बैठक में निर्वाचन आयुक्त श्री अचल कुमार जोति, निर्वाचन आयुक्त श्री ओम प्रकाश रावत, उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा, महानिदेशक श्री सुदीप जैन, निदेशक श्री एन०सी० स्वेन, निदेशक श्री धीरेन्द्र ओझा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री अजय नायक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री अरविन्द कुमार चौधरी एवं श्री आर० लक्ष्मणन एवं अन्य राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सुविधा, समाधान तथा Vehicle मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर सभी राजनैतिक दलों तथा आम लोगों को सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया 'सुविधा' राजनैतिक दलों को विभिन्न अनुमति देने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था है जबकि समाधान जन शिकायत के निवारण हेतु है। Vehicle मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से वाहन मालिक को उनके खाता के माध्यम से ससमय ऑनलाईन भुगतान सुनिश्चित होगा।

आयोग द्वारा विधि–व्यवस्था तथा सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुये त्योहारों यथा दशहरा, मुहर्रम, आदि को देखते हुये सामाजिक और धार्मिक समरसता एवं शांति व्यवस्था हर–हाल में बनाये रखने का निर्देश दिया गया। आयोग द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई, गैरजमानती वारंट के निष्पादन, अवैध शराब तथा अवैध हथियारों की बरामदगी की कार्रवाई को और तीव्र करने का भी निर्देश दिया गया। मतदाताओं में विश्वास पैदा करने वाले उपायों तथा

केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा Area Domination की कार्रवाई पुरे क्षेत्र विशेष कर सभी भेद्य टोलो में कराने तथा आदर्श आचार संहिता को बिना किसी भेद–भाव के लागू करने का भी निर्देश दिया गया।

निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु सूचना प्रावैधिकी की मदद से विकसित एप्लीकेशन का प्रयोग शिकायत को दर्ज कराने हेतु किया जा रहा है तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर Ethical Voting के प्रचार प्रसार हेतु Booth level awareness group का गठन किया गया है। आयोग ने सभी अधिकारियों को धन–बल के प्रभाव तथा काले धन के उपयोग को रोकने के लिये कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अबतक इस चुनाव में कुल 9.16 करोड़ रूपये तथा 56.12 लाख नेपाली मुद्रा जब्त की जा चुकी है, जबकि विधान सभा निर्वाचन, 2010 के दौरान कुल 35.54 लाख जब्त किये गये थे। गत लोक सभा निर्वाचन, 2014 के दौरान 6.02 करोड़ रूपये नगद तथा 21.60 लाख रूपये नेपाली मुद्रा को जब्त किया गया था। निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के लिये आयोग ने Flying Squad/ SST का प्रभावी उपयोग केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की सहायता से निर्वाचन के दिन तक करने का निर्देश दिया है। राजनैतिक दलों द्वारा भी उनकी आयोग के साथ बैठक में आयोग की अवैध रूपये को नियंत्रित करने हेतु की गयी कड़ी कार्रवाईयों की प्रशंसा की गयी है।

प्रथम तीन चरणों के जिलों के पदाधिकारियों द्वारा बैठक में आयोग को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों की चुनावी तैयारियों से अवगत कराया गया। आयोग द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव के संचालन हेतु निर्देश दिये गये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से कराने हेतु अपने–आप को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं पुलिस, उत्पाद एवं आयकर विभाग के अधिकारी, उपस्थित थे।

निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा के बाद सभी पदाधिकारियों को सक्रिय होकर सभी मतदाताओं को आवश्यक न्यूनतम सुविधा यथा स्थायी रैम्प, पेयजल, पुरूष एवं महिला के लिये अलग–अलग शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था एवं निर्वाचकों की सुविधा हेतु हेल्पलाईन की व्यवस्था सुदृढ़ कराने, हेल्पलाईन सुविधा सुदृढ़ करने तथा फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का मतदान की तिथि के कम–से–कम पाँच दिन पूर्व शत्–प्रतिशत वितरण करने का निर्देश दियागया है।

आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान को और मजबूत तथा प्रभावी बनाने का निर्देश दिया, ताकि मतदाताओं की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके तथा मतदान प्रतिशत को अपेक्षानुरूप बढ़ाया जा सके।

आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों, मुख्य सचिव, श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक, श्री पी०के० ठाकुर, प्रधान सचिव, गृह विभाग, श्री सुधीर कुमार राकेश सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया तथा चुनाव के संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये।

इससे पहले 27.09.2015 को राजनैतिक दलों की बैठक में आयोग ने उनके विभिन्न सुझावो/मांगों का संज्ञान लिया गया। राजनैतिक दलों द्वारा आयोग को उसके एकल खिड़की व्यवस्था सहित अन्य उपायों की प्रशंसा करते हुये अबतक की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। आयोग द्वारा उन्हें पुरी निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का प्रभावी नियंत्रण करने तथा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं अधिकाधिक सहभागितापूर्ण तरीके से चुनाव कराने के संबंध में आश्वस्त किया गया।